फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री माधु पिता भैरू जाट निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

बनाम

श्री गोपाल पिता भैरू जाट निवासी बावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा वगैरहा

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 78 सन् 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
20	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम बावलास पटवार हलका बावलास के आ0नं0 213, 214, 2202, 224, 247, 2618, 2618/2, 2621, 2626 व 2751 कुल किता 10 रकबा 3.0856 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त स्वामितत्व की होने से प्रार्थी व विपक्षीगण अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहें है। परन्तु विपक्षीगण सहमति से मिट्स एण्ड बाउण्डस में विभाजन को तैयार नहीं होकर बिना विभाजन ही भूमि को अन्य लोगों को विक्रय रहन बय बख्शीस करने को आमादा होकर उसे बेदखल करना चाहते है । अतः विपक्षीगणों को पाबंद करावें कि बिना विभाजन कराये भूमि को विक्रय रहन बय बख्शीस नहीं करें तथा रेकार्ड व मौक की यथास्थिति बनाये रखें। मैंने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम बावलास पटवार हलका बावलास के आ0नं0 213, 214, 2202, 224, 247, 2618, 2618/2, 2621, 2626 व 2751 कुल किता 10 रकबा 3.0856 हैक्टयर भूमि पर विपक्षीगणों द्वारा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं विपक्षी संख्या 04 पंजीयन नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 08.02.2021 तक जारी की जाती है । रास्तों पर लागु नहीं । आदेश 39 नियम 3 की पालना हो। हुक्म इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करें। पत्रावली दिनांक 08.02.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
?.12	वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र मे बताया गया कि हमारे दोनो पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। उक्त प्रकरण मे मै आगे कोई कार्यवाही नही चाहता हूं। प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज [illegible] ड्रोप करवाया जावे। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत [illegible] पत्र पर मनन किया, न्यायहित मे वकील प्रार्थी [illegible] राजीनामा हो किया जाकर प्रार्थी के प्रार्थना [illegible] आगे कोई कार्यवाही नही [illegible] जाने से व प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	माधु VA VAC UMC 19.[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:52:23 IST
Reason: SelfAttested